



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 2017/आषाढ 10, 1939

No. 585]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 2017/ASADHA 10, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2017

सं. 14/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 818(अ).—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, माल और सेवाकर महानिदेशालय और लेखा परीक्षा महानिदेशालय में अधिकारियों को केंद्रीय कर अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है और उनमें केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और तद्विनिर्दिष्ट बनाए गए नियमों के अधीन उन शक्तियों को निहित करता है जो भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी पंक्ति के केंद्रीय कर अधिकारियों द्वारा प्रयोक्तव्य हैं, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी	वे अधिकारी जिनकी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है
(1)	(2)	(3)
1.	प्रधान महानिदेशक, माल और सेवा कर आसूचना या प्रधान महानिदेशक, माल और सेवा कर	प्रधान मुख्य आयुक्त
2.	महानिदेशक, लेखापरीक्षा	मुख्य आयुक्त
3.	प्रधान अपर महानिदेशक, माल और सेवा कर आसूचना, प्रधान अपर महानिदेशक, माल और सेवा कर या प्रधान अपर महानिदेशक, लेखापरीक्षा	प्रधान आयुक्त

4.	अपर महानिदेशक, माल और सेवा कर आसूचना, अपर महानिदेशक, माल और सेवा कर या अपर महानिदेशक, लेखापरीक्षा	आयुक्त
5.	अपर निदेशक, माल और सेवा कर आसूचना, अपर निदेशक, माल और सेवा कर या अपर निदेशक, लेखापरीक्षा	अपर आयुक्त
6.	संयुक्त निदेशक, माल और सेवा कर आसूचना, संयुक्त निदेशक, माल और सेवा कर या संयुक्त निदेशक, लेखापरीक्षा	संयुक्त आयुक्त
7.	उप/सहायक निदेशक, माल और सेवा कर आसूचना, उप/सहायक निदेशक, माल और सेवा कर या उप/सहायक निदेशक, लेखापरीक्षा	उपायुक्त या सहायक आयुक्त
8.	ज्येष्ठ आसूचना अधिकारी, माल और सेवा कर आसूचना, अधीक्षक, माल और सेवा कर या अधीक्षक, लेखापरीक्षा	अधीक्षक
9.	आसूचना अधिकारी, माल और सेवा कर आसूचना, निरीक्षक, माल और सेवा कर या निरीक्षक लेखापरीक्षा	निरीक्षक

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/52/2017-जीएसटी]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2017

No. 14/2017—Central Tax

G.S.R. 818(E).—In exercise of the powers conferred under section 3 read with section 5 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 3 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the officers in the Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence, Directorate General of Goods and Services Tax and Directorate General of Audit as specified in column (2) of the Table below, as central tax officers and invests them with all the powers under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made there under, throughout the territory of India, as are exercisable by the central tax officers of the corresponding rank as specified in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Officers	Officers whose powers are to be exercised
(1)	(2)	(3)
1.	Principal Director General, Goods and Services Tax Intelligence or Principal Director General, Goods and Services Tax	Principal Chief Commissioner
2.	Director General, Audit	Chief Commissioner
3.	Principal Additional Director General, Goods and Services Tax Intelligence or Principal Additional Director General, Goods and Services Tax or Principal Additional Director General, Audit	Principal Commissioner
4.	Additional Director General, Goods and Services Tax Intelligence or Additional Director General, Goods and Services Tax or Additional Director General, Audit	Commissioner
5.	Additional Director, Goods and Services Tax Intelligence or Additional Director, Goods and Services Tax or Additional Director, Audit	Additional Commissioner
6.	Joint Director, Goods and Services Tax Intelligence or Joint Director, Goods and Services Tax or Joint Director, Audit	Joint Commissioner

7.	Deputy/Assistant Director, Goods and Services Tax Intelligence or Deputy/Assistant Director, Goods and Services Tax or Deputy/Assistant Director, Audit	Deputy Commissioner or Assistant Commissioner
8.	Senior Intelligence Officer, Goods and Services Tax Intelligence or Superintendent, Goods and Services Tax or Superintendent, Audit	Superintendent
9.	Intelligence Officer, Goods and Services Tax Intelligence or Inspector, Goods and Services Tax or Inspector, Audit	Inspector

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 349/52/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.